खण्ड 'य'

अध्याय 1

व्यापारिक बैंकिंग—अर्थ, प्रकार एवं कार्य

[COMMERCIAL BANKING – MEANING, TYPES AND FUNCTIONS]

अर्थ व परिभाषाएँ (Meaning and Definitions)—बैंकिंग प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण अंग व्यापारिक बैंक (Commercial Bank) है।[1] व्यापारिक बैंक वे बैंक हैं जो लाभ के उद्देश्य से बैंकिंग कार्य करते हैं।

व्यापारिक बैंक की कुछ प्रमुख परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं :

(1) **गोल्डफील्ड तथा चैण्डलर** (Goldfield and Chandler)—"इन बैंकों का व्यापारिक शब्द व्यापारिक ऋण सिद्धान्त (Commercial Loan Theory) से लिया गया है। इस सिद्धान्त के अनुसार बैंकों की परिसम्पत्ति में नकदी के अतिरिक्त अल्पकालीन ऋणों (Short-term Loans) को भी शामिल किया जाना चाहिए। इसलिए व्यापारिक बैंक उन बैंकों को कहा जाने लगा जो अल्पकाल के लिए ऋण देते हैं।"

(2) **कलबर्स्टन** (Culberston)—"व्यापारिक बैंक वे संस्थाएँ हैं जो व्यापार को अल्पकाल के लिए ऋण देती हैं तथा मुद्रा का निर्माण करती हैं।"

संक्षेप में, "व्यापारिक बैंक वे बैंक हैं जो लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से मुद्रा तथा साख का व्यापार करते हैं।"

Scanned with CamScanner

इन बैंकों को वे सुविधाएँ रिजर्व बैंक से प्राप्त नहीं होती हैं जो अनुसूचित बैंकों को मिलती हैं। नये बैंकिंग विधान (1949) के अनुसार, अब गैर-अनुसूचित बैंकों पर भी रिजर्व बैंक का नियन्त्रण हो गया है। गैर-अनुसूचित बैंकों के लिए यह भी आवश्यक हो गया है कि वे अपनी कुल जमा का निश्चित प्रतिशत रिजर्व बैंक के पास अथवा अपने नकद कोष के रूप में रखें।

(II) स्वामित्व के आधार पर व्यापारिक बैंक (Commercial Banks on the basis of Ownership)

स्वामित्व के आधार पर भारत में वाणिज्य बैंकों को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है—(क) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक तथा (ख) निजी क्षेत्र के बैंक।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाता है—

(i) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, (ii) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के 7 'सहयोगी बैंक' या सहायक बैंक, (iii) 20 राष्ट्रीयकृत बैंक तथा (iv) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।

निजी क्षेत्र के बैंकों में निम्नलिखित को शामिल किया जाता है—

(i) भारत में समाविष्ट संयुक्त स्टॉक बैंक तथा

(ii) विदेशी बैंक।

बैंक या व्यापारिक बैंकों के कार्य
(FUNCTIONS OF BANK OR COMMERCIAL BANKS)

व्यापारिक बैंकों के कार्यों को मोटे तौर पर तीन भागों में बाँटा जा सकता है :

(I) मुख्य कार्य
(PRIMARY FUNCTIONS)

व्यापारिक बैंकों के दो मुख्य कार्य हैं—जमा स्वीकार करना और ऋण देना।

(1) जमा स्वीकार करना (Accepting Deposits)—एक बैंक जनता के धन को जमा करता है। लोग अपनी सुविधा और शक्ति के अनुसार निम्नलिखित खातों में रुपया जमा कर सकते हैं :

(i) चालू निक्षेप (Current Deposits)—चालू खाता वह खाता है जिसमें जमा की गयी रकम जब चाहे निकाली जा सकती है। चूँकि इस खाते में आवश्यकतानुसार कई बार रुपया निकालने की सुविधा रहती है, इसलिए बैंक इस खाते का धन प्रयोग करने में स्वतन्त्र नहीं होता। यही कारण है कि बैंक ऐसे खातों पर या तो ब्याज बिल्कुल नहीं देता या बहुत मामूली देता है। कभी-कभी कुछ शुल्क ग्राहक से वसूल करता है।

व्यापारियों के लिए ये खाते बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उन्हें दिन में कई बार भुगतान के लिए लेन-देन की आवश्यकता पड़ती है।

(ii) मुद्दती स्थायी निक्षेप (Fixed Deposits)—स्थायी निक्षेप वह है जिसे एक निश्चित अवधि (जो 3 माह से 5 वर्ष तक हो सकती है) के लिए बैंक लेता है। इस जमा से सम्बन्धित खाते को स्थायी या मुद्दती खाता कहा जाता है। इन खातों को खोलने के बाद बैंक ग्राहक को एक मुद्दती जमा रसीद (Fixed Deposit Receipt) देता है और अवधि बीतने के बाद जब बैंक रुपया वापस करता है तो यह रसीद भी वापस ले लेता है। मुद्दती खातों पर ब्याज की दर ऊँची रहती है क्योंकि इन खातों की रकम का प्रयोग करने के लिए बैंक पूर्णतः स्वतन्त्र होते हैं और उचित विनियोग करके वे पर्याप्त लाभ कमाते हैं।

लम्बी अवधि के खातों में अनिश्चितकालीन निक्षेप भी आते हैं। ऐसे निक्षेप के अन्तर्गत जो रुपया जमा किया जाता है, वह कुछ विशेष कारणों को छोड़ कभी भी निकाला नहीं जा सकता। इन खातों पर ब्याज की दर बहुत ऊँची होती है।

(iii) बचत खाता (Saving Account)—यह खाता प्रायः मध्यम तथा निम्न आय वर्ग के लोगों द्वारा खोला जाता है जिसमें वे अपनी छोटी-छोटी बचतों को भविष्य के लिए जमा करते हैं। इस खाते में जमाकर्ता पर कुछ प्रतिबन्ध लगाये जाते हैं; जैसे—जमाकर्ता इस खाते में से एक निश्चित रकम सप्ताह में केवल एक या दो बार ही निकाल सकता है। रकम निकालने के लिए इस खाते में जमाकर्ता को 'रकम निकालने की पर्ची' (Withdrawal Form) तथा 'चैक' की सुविधा दी जाती है।

(iv) गृह बचत खाता (Home Saving Account)—इस खाते के अनुसार बैंक, जमा करने वाले के घर गुल्लक रख देता है। इन गुल्लकों में अपनी सुविधानुसार घर का स्वामी या अन्य व्यक्ति पैसे जमा करते जाते हैं।

Scanned with CamScanner

महीने के अन्त में या तीन महीने बाद इस गुल्लक को बैंक में ले जाया जाता है। वहाँ खोला जाता है एवं एकत्रित राशि को निकालकर सम्बन्धित व्यक्ति के खाते में जमा कर दिया जाता है। ऐसी जमा पर ब्याज बहुत कम दिया जाता है।

(2) **ऋण प्रदान करना** (Granting Loans)—बैंकों का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य ऋण प्रदान करना है। वास्तव में, जमा लेना या ऋण देना ये दो स्तम्भ हैं जिन पर आजकल के बैंकों का ढाँचा खड़ा रहता है। ऋण प्राय: उत्पादक कार्यों के लिए दिये जाते हैं और इन पर वसूल की जाने वाली ब्याज की दर उससे अधिक होती है जो कि बैंक जमा कराने वाले व्यक्तियों को देता है। इन दोनों में ब्याज की दर का अन्तर ही बैंक का लाभ होता है। बैंक मुख्यत: निम्नलिखित तरीकों से ऋण देता है :

(i) **नकद साख** (Cash Credit)—इसके अन्तर्गत ऋणी को निश्चित जमानत के आधार पर एक निश्चित राशि निकलवाने का अधिकार दे दिया जाता है। इस सीमा के अन्दर ही ऋणी आवश्यकतानुसार रुपया निकलवाता रहता है तथा जमा भी करता है। इस अवस्था में बैंक केवल वास्तव में निकलवायी गयी राशि पर ब्याज लेता है।

(ii) **अधिविकर्ष या ओवरड्राफ्ट** (Overdraft)—बैंक में चालू जमा रखने वाले ग्राहक बैंक से एक समझौते के अनुसार अपनी जमा से अधिक रकम निकलवाने की अनुमति ले लेते हैं। निकाली गयी रकम को ओवरड्राफ्ट कहते हैं। यह सुविधा अल्पकाल के लिए विश्वसनीय ग्राहकों को ही मिलती है। मान लीजिए, एक व्यक्ति के 20,000 रु. जमा हैं और उसको बैंक 22,000 रु. तक चैक काटने का अधिकार दे देता है तो 2,000 रुपया ओवरड्राफ्ट कहलायेगा।

अधिविकर्ष तथा नकद साख में अन्तर (Difference between Overdraft and Cash Credit)—अधिविकर्ष और नकद साख में अन्तर की मुख्य-मुख्य बातें निम्न प्रकार हैं :

(i) पहला मौलिक अन्तर यह है कि अधिविकर्ष केवल चालू खाता रखने वाले व्यक्तियों को दिये जाते हैं, जबकि नकद साख किसी भी व्यक्ति को दी जा सकती है।

(ii) नकद साख सदा पूरी जमानत रखने के पश्चात् ही दी जाती है, जबकि अधिविकर्ष प्राय: व्यक्तिगत जमानत पर दे दिये जाते हैं क्योंकि चालू खाता रखने वाले व्यक्ति एवं संस्थाएँ बैंक के पुराने ग्राहक होते हैं।

(3) **ऋण तथा अग्रिम** (Loans and Advances)—ये ऋण एक निश्चित रकम के रूप में दिये जाते हैं। बैंक ऋणदाता के खाते में ऋण की रकम इकट्ठा जमा कर देता है। ऋणदाता उसे कभी भी निकलवा सकता है। इन ऋणों पर ऋण के स्वीकृति के तुरन्त बाद ही ब्याज आरम्भ हो जाता है, चाहे ऋणी बैंक द्वारा उस खाते में से कुल ऋण का केवल एक भाग ही निकाले।

(4) **सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोग** (Investment in Govt. Securities)—बैंकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदना भी सरकार को उधार देने का एक तरीका है। बहुत-से बैंक सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीदना पसन्द करते हैं क्योंकि यह सबसे सुरक्षित उधार माना जाता है।

(5) **विनिमय-पत्रों की कटौती करना** (Discounting of the Bills of Exchange)—बैंकों द्वारा पेशगी धन देने का यह भी एक तरीका है। इसके अन्तर्गत बैंक अपने ग्राहकों को आवश्यकता पड़ने पर उनके विनिमय-पत्रों की अवधि पूर्ण होने से पहले ही उन विनिमय-पत्रों के आधार पर रुपया उधार देता है। भुगतान के बाकी समय की ब्याज की कटौती (Discount) करके बैंक तत्काल भुगतान कर देता है। बैंक व्यापारिक बिलों की ही कटौती करता है। बैंक इनसे बाजार दर पर ब्याज लेता है और विनिमय-पत्रों की अवधि पूर्ण होने पर उनकी धनराशि वसूल कर लेता है।

(6) **साख निर्माण** (Credit Creation)—आजकल बैंकों का एक मुख्य कार्य साख का निर्माण करना है। बैंक अपनी प्रारम्भिक जमा से अधिक रुपया उधार देकर साख का निर्माण करते हैं।

Scanned with CamScanner